न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आईएएस0

प्रकरण संख्या – 810 / 18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

गौरा पत्नी देबी लाल जाट निवासी मोतीपुरा, मुण्डेता तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1. मीठू पुरी पुत्री खानपुरी निवासी मुण्डेता तह0 शाहपुरा।
2. रामपुरी पुत्री शंकर पुरी निवासी मोतीपुरा तह0 शाहपुरा
3. शम्भू पुत्र भूरा सेन निवासी मोतीपुरा तह0 शाहपुरा

4–5 नन्दा, घीसू सैन पुत्र बंशीलाल सेन निवासी मोतीपुरा तह0 शाहपुरा

6–7 हीरा, कालू पुत्र खाना जाट निवासी मोतीपुरा तह0 शाहपुरा

8–9 नारायण, फोरू पुत्र मांगीलाल जाट निवासी मोतीपुरा तह0 शाहपुरा

10 गणेश लाल पुत्र शंकर लाल चण्डक निवासी सुन्दर नगर गली 03 ब्यावर जिला अजमेर हाल रवासी संचेती कॉलोनी, पुर रोड़ भीलवाड़ा

11 उगमी पत्नी गणेश जाट निवासी लांगरो की रूपाहेली तह0 व जिला भीलवाड़ा

12 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री रामेश्वर लाल जाट**
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20 / 10 / 2020

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीया के **ग्राम मुण्डेता** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 528 रकबा 5.95** कुल **किता 1** रकबा 5.95 **हैक्टेयर** हैक्टेयर का प्रार्थीया **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मुण्डेता संवत** 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीया **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मुण्डेता** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 1 रकबा 5.95 हैक्टेयर हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1200/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 / 10 / 2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.29 11:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (शाहपुरा भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
एवं सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर